



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3199/MP/10/2024-ESDW (RU-I)

दिनांक: 01.04.2025

सेवा में,

श्री छगन,
ग्राम-पलसूद,
जिला-बड़वानी,
मध्य प्रदेश

विषय: म.प्र. भू. राजस्व संहिता की धारा 170 (ख) के तहत सेठ गैर आदिवासी श्री गोपाल पिता-शिवाजी सोनी से आदिवासी कृषक सुरबान पिता मालसींग के वारिसों को कृषी भूमि का कब्जा दिलाने संबंध में श्री छगन, ग्राम-पलसूद, जिला-बड़वानी, मध्य प्रदेश का दिनांक 25.08.2024 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 08.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(आर. के. दुबे)
उप-निदेशक

ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- माननीय अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
- एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।

5208
4/4/2025